वित्त विधेयक, 2013

वित्त विधेयक, 2013 से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2013 के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ आय-कर अधिनियम, धन-कर अधिनियम और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में निम्नलिखित का उपबंध करने हेतु संशोधन करने के लिए हैं,—

(क) कर दरें;

(ख) अतिरिक्त संसाधन जुटाना;

(ग) सामाजिक-आर्थिक विकास का संवर्धन करने के लिए उपाय;

(घ) अनुतोष और कल्याणकारी उपाय;

(ङ) कर आधार को व्यापक बनाना और कर परिविर्जन रोधी उपाय;

(च) सुव्यवस्थीकरण संबंधी उपाय।

2. वित्त विधेयक, 2013, निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए कर हेतु दायी आय पर आय-कर की दरों को, ऐसी दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज (जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है) से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी, लॉटरियों या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़, ताश के खेल से जीत की रकम और आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी आय के अन्य प्रवर्गों; ''अग्रिम कर'' की संगणना के लिए दरों, ''वेतन'' से आय-कर की कटौती या उस पर कर का संदाय और वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर आय-कर प्रभारित करने की दरों को विहित करने के लिए है।

3. प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में सपष्ट किया गया है।

प्रत्यक्ष-कर

क. आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए कर के लिए दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो ''अग्रिम कर'' की संगणना, ''वेतन'' से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2012 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार

निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत अधिभार निम्नलिखित मामलों में उद्‌गृहीत किया जाएगाः—

(क) ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,

तथापि, इन सभी मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक करोड़ रुपए से अधिक आय पर अधिभार सहित संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम उस रकम तक सीमित हो, जिससे आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, सीमांत राहत अनुज्ञात की जाएगी।

प्रत्येक कंपनी की दशा में भी जिसकी आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, पूर्वोक्त वर्णित दर पर अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा और सीमांत राहत भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और आय-कर पर "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार सभी मामलों में अधिभार को सम्मिलित करके संगणित कर रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर पर उद्‌गृहीत होता रहेगा। ऐसे उपकर की बाबत कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

II. ''वेतन'' से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें

''वेतन'' से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2012 के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं। सिवाय किसी अनिवासी (कंपनी से भिन्न) या किसी विदेशी कंपनी को स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओ के लिए फीस के रूप में आय की प्रकृति के कतिपाय संदायों के मामले में दर ऐसी आय का पच्चीस प्रतिशत होगी।

(1) अधिभार

देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। इस कटौती की गई कर की रकम को, देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा और जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) शिक्षा उपकर

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियां भी हैं, जहां कहीं लागू हो, अधिभार सहित, आय-कर के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से ''आय-कर पर शिक्षा उपकर'' और ''आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर'' उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ''वेतन'' से स्रोत पर आय-कर की कटौती, अग्रिम कर की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ''वेतन'' से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय ''अग्रिम कर'' की संगणना से लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण,ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए विरचित निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं।

उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं—

अ - व्यष्टि, हिन्दु अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 को पैरा का आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) हैं, आय कर की दरें निम्नानुसार हैंः—

2,00,000 रुपए तक	शून्य
2,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान में किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

आ - सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए विनिर्दिष्ट हैं।

आय-कर की रकम को, ऐसी सहकारी सोसायटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय कर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

इ - फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए विनिर्दिष्ट है।

आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय कर करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ई - स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए विनिर्दिष्ट है।

आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

उ - कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट हैं। ये दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। यदि ऐसी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से कम है यदि देशी कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है तो दस प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा।

किसी देशी कंपनी पर पांच प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को उदगृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से कम है। यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है तो पांच प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को जारी रखा जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय कर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, या 115नक भी है) दस प्रतिशत की दर पर अधिभार का उदग्रहण किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए, सभी मामलों में ''आय-कर पर शिक्षा उपकर'' और ''आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर'' नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्‌गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी। *[खंड 2 और पहली अनुसूची]*

ख. अतिरिक्त संसाधन जुटाना

वस्तु संव्यवहार कर

किसी मान्यताप्राप्त संगम में प्रविष्ट कराधेय वस्तु संव्यवहार पर वस्तु संव्यवहार कर (सीटीटी) नामक कर के उद्‌ग्रहण का प्रस्ताव है।

'कराधेय वस्तु संव्यवहार' को इस प्रकार परिभाषित करने का प्रस्ताव है जिससे उससे मान्यताप्राप्त संगमों में कृषि वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के संबंध में वस्तु व्युत्पन्नियों का विक्रय अभिप्रेत हो।

कर को इसमें इसके पश्चात् यथा उपदर्शित अनुसार विक्रयकर्ता द्वारा हाथ में लिए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों पर नीचे दी गई सारणी में दी गई दर पर उद्‌गृहीत करने का प्रस्ताव हैः

सारणी

क्र.सं.	कराधेय वस्तु संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रय	0.01 प्रतिशत	विक्रेता

सीसीटी का संग्रहण और वसूली, विवरणियां प्रस्तुत करने, निर्धारण प्रक्रिया,, निर्धारण अधिकारी की शक्ति, ब्याज की प्रभार्यता, शास्ति के उद्‌ग्रहण, अभियोजन संस्थित करने, अपील फाइल करने, केन्द्रीय सरकार की शक्ति आदि का भी उपबंध किया गया है।

इस कर को उस तारीख से उद्गृहीत करने का प्रस्ताव है जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से वित्त विधेयक, 2013 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है।

इसके अतिरिक्त आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने कारबार के प्रक्रम में किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहार के संबंध में किसी निर्धारिती द्वारा वस्तु संव्यवहार कर के बराबर संदत्त रकम को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जा सके, यदि ऐसे कराधेय वस्तु संव्यवहारों से उद्भूत आय को 'कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन संगणना में शामिल किया गया है।

एक स्पष्टीकरण को भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु संव्यवहार कर" और "कराधेय वस्तु संव्यवहार" पद का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 के अधीन है।

अधिनियम की धारा 36 में यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए तद्नुसार लागू होगा। *[खंड 6, खंड 105 से खंड 124]*

स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के माध्यम से आय का कराधान

अधिनियम की धारा 115क अनिवासी करदाता की दशा में कर को अवधारण का उपबंध करती है जहां तारीख 31.03.1976 के पश्चात किए गए किसी करार के अधीन स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं (एफटीएस) के माध्यम से आय कुल आय में शामिल है और जो प्रभावी रूप से भारत के अनिवासी के स्थायी प्रतिष्ठापन, यदि कोई है, से प्रभावी रूप से संबद्ध नहीं है। कर आय की सकल रकम पर निम्नलिखित दर पर संदेय हैः

(i) 30% यदि 31.05.1997 को या उससे पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में स्वामिस्व या एफटीएस के माध्यम से आय है;

(ii) 20% यदि 31.05.1997 के पश्चात किन्तु 01.06.1005 से पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में स्वामिस्व या एफटीएस के माध्यम से आय है; और

(iii) 10% यदि 01.06.2005 को या उसके पश्चात किए गए किसी करार के अनुसरण में स्वामिस्व या एफटीएस के माध्यम से आय है।

भारत की 84 देशों के साथ कर संधियां हैं, अधिकांश कर संधियां भारत को स्वामिस्व की सकल रकम पर 10% से 25% के बीच की दर पर कर उद्गृहीत करना अनुज्ञात करती हैं, जबकि धारा 115क के अनुसार कर की दर 10% है। कुछ मामलों में इसके बावजूद कि संधि, आय का ऊंची दर पर कराधान करना अनुज्ञात करती है इसका परिणाम 10% की कम दर पर कराधान होता है।

इस विषमता को ठीक करने के लिए, अनिवासी करदाता की दशा में, धारा 115क के अधीन यथा उपबंधित स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय पर कर की दर को 10% से बढाकर 25% करने का प्रस्ताव है। 25% की यह दर तारीख 31.03.1976 के पश्चात किसी अनिवासी द्वारा किए गए करार के अधीन स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से माध्यम से प्राप्त आय जो कि धारा 115क के अधीन कराधेय है पर लागू होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे। *[खंड 25]*

ग. सामाजिक आर्थिक विकास का संवर्धन करने के लिए उपाय

विनिर्माण कंपनी द्वारा नए संयंत्र या मशीनरी के अर्जन और संस्थापन के लिए प्रोत्साहन

संयंत्र या मशीनरी में सारवान विनिधान को प्रोत्साहित करने के लिए, अधिनियम में एक नई धारा 32कग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई, निर्धारिती, जो कोई कंपनी है,—

(क) किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण के कारबार में लगा हुआ है; और

(ख) 1 अप्रैल, 2013 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान नई आस्तियों (संयंत्र या मशीनरी) में 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि का विनिधान करता है,

तो निर्धारिती को—

(i) निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अर्जित और लगाई गई नई आस्तियों की वास्तविक लागत का 15% की कटौती, यदि ऐसी आस्तियों की लागत 100 करोड़ से अधिक है;

(ii) निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए, 01 अप्रैल, 2013 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अर्जित और लगाई गई नई आस्तियों की वास्तविक लागत की 15% की कटौती, निर्धारण वर्ष 2014 के लिए जो अनुज्ञात कटौती की रकम, यदि कोई है, को घटाकर आए, अनुज्ञात की जाएगी।

"नई आस्ति" वाक्यांश को नए संयंत्र या मशीनरी के रूप में परिभाषित किया गया है किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं—

(i) ऐसा कोई संयंत्र या मशीनरी जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा इसके लगाए जाने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर किया गया था;

(ii) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की आवास सुविधा भी है, में लगाया गया कोई संयंत्र या मशीनरी;

(iii) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी है;

(iv) कोई यान;

(v) पोत या वायुयान; या

(vi) कोई संयंत्र या मशीनरी जिनकी संपूर्ण वास्तविक लागत को किसी पूर्व वर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में, कटौती (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) के रूप में अनुज्ञात किया जाता है।

उपयुक्त सुरक्षोपायों का उपबंध करने के लिए यह और प्रस्ताव है कि जिससे 5 वर्ष की अवधि के लिए संयंत्र या मशीनरी के अंतरण को निर्बंधित किया जा सके। तथापि, यह निर्बंधन समामेलन या अविलियन के मामले में लागू नहीं होगा परन्तु, यथास्थिति, समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी को लागू होता रहेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। *[खंड 5]*

विद्युत सेक्टर के लिए धारा 80झक के अधीन अंतिम तारीख का विस्तार

धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे उपक्रम को लाभों और अभिलाभों की कोई कटौती अनुज्ञात की जाती है,—

(क) जो विद्युत के उत्पादन या उसके उत्पादन तथा वितरण के लिए भारत के किसी भाग में स्थापित है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय विद्युत उत्पादन करना आरंभ कर देता है;

(ख) 1 अप्रैल, 1999 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण आरंभ करता है;

(ग) 1 अप्रैल, 2004 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय पारेषण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क के सारवान नवीकरण और आधुनिकीकरण आरंभ करता है।

उपक्रमों को कर अभिलाभ प्राप्त करने के लिए पात्र क्रियाकलाप प्रारंभ करने के लिए समय देने के प्रयोजन से, उपरोक्त उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे अंतिम तारीख को एक वर्ष की और अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे। *[खंड 17]*

घ. अनुतोष और कल्याणकारी उपाय

5 लाख रुपए तक की कुल आय वाले व्यष्टिकों के लिए 2000 रुपए की छूट

व्यष्टिक करदाताओं, जो निम्न आय वर्ग में आते हैं, को कर अनुतोष प्रदान करने की दृष्टि से, किसी निर्धारिती, जो भारत में निवासी कोई व्यष्टि है, जिसकी कुल आय पांच लाख रूपए से अधिक नहीं है, को संदेय कर से छूट देने का प्रस्ताव है। छूट किसी निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय पर संदेय आय-कर की रकम या दो हजार रूपए की रकम, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी। परिणामस्वरूप 2,20,000 रुपए तक की आय वाले व्यष्टि को किसी कर का संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा तथा प्रत्येक व्यष्टि जिसकी कुल आय 2,20,000 रुपए से अधिक है किन्तु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है, 2000 रुपए का कर अनुतोष प्राप्त करेगा।

धारा 87 का पारिणामिक रूप से संशोधन किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।
[खंड 19 और खंड 20]

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आवासीय गृह संपत्ति अर्जित करने के लिए स्वीकृत ऋण के संबंध में कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 24 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय उसमें विनिर्दिष्ट कटौतियां करने के पश्चात संगणित की जाती हैं। उपरोक्त धारा के अधीन विनिर्दिष्ट कटौतियां निम्नानुसार हैः—

i. ऐसी राशि, जो वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर हो;

ii. जहां संपत्ति का अर्जन, सन्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण या पुनः सन्निर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है, वहां ऐसी पूंजी पर संदेय किसी ब्याज की रकम।

यह भी उपबंध किया गया है कि जहां संपत्ति गृह या गृह के किसी भाग से मिलकर बनी है जो कि स्वामी के अधिभोग में उसके स्वयं के आवास के प्रयोजन के लिए है या उसे इस तथ्य के कारण, कि स्वामी का नियोजन, कारबार या वृत्ति किसी अन्य स्थान पर है, वास्तविक रूप से स्वामी द्वारा अधिभोग नहीं किया जा सकता, और उसे उसके गैर स्वामित्व वाले भवन में दूसरे स्थान पर निवास करना पड़ता है, तो ऊपर वर्णित कटौती की रकम उक्त धारा में उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए एक लाख पचास हजार से अधिक नहीं होगी।

सस्ते घर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आय-कर अधिनियम में आवासीय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की बाबत कटौती से संबंधित एक नई धार 80ड.ड. पहली बार गृह खरीदने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने हेतु अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित नई धारा 80ङङ इस बात का उपबंध करने के लिए है कि किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि हो, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसके द्वारा किसी आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर संदेय ब्याज की कटौती की जाएगी ।

यह और उपबंध है कि उपधारा (1) के अधीन कटौती एक लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी और यह व्यष्टि की 1 अप्रैल, 2014 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी और ऐसे किसी मामले में, जहां उक्त निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय ब्याज एक लाख रुपए से कम है तो अतिशेष रकम 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में अनुज्ञात की जाएगी ।

यह भी उपबंध है कि कटौती की शर्तें इस प्रकार होंगी,—(i) वित्तीय संस्था द्वारा ऋण 1 अप्रैल, 2013 को आरंभ और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है ; (ii) आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए मंजूर की गई ऋण की रकम पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ; (iii) आवासीय गृह संपत्ति का मूल्य चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ; (iv) ऋण मंजूर किए जाने की तारीख को निर्धारिती के स्वामित्व में कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है ।

यह और उपबंध है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज की बाबत इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाती है, वहां अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन ऐसे ब्याज की बाबत कटौती उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

"वित्तीय संस्था" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

निःशक्त या रोगी व्यक्तियों की जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए पात्र प्रीमियम के प्रतिशत की सीमा बढ़ाना

धारा 10 के खंड 10(घ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी है, उस शर्त के अधीन कि ऐसी पॉलिसी के लिए संदत्त प्रीमियम 'वास्तविक बीमा पूंजी राशि' के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, छूट प्राप्त है। इसी प्रकार धारा 80 की उपधारा (3क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी बीमा पालिसी पर किसी प्रीमियम या किए गए अन्य संदाय की बाबत कटौती 'वास्तविक बीमा पूंजी राशि' के दस प्रतिशत तक की मिलेगी।

दस प्रतिशत की उपरोक्त सीमा वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा प्रारंभ की गई तथा यह 1 अप्रैल, 2012 या उसके पश्चात् जारी की गई पॉलिसियों को लागू होती है। निःशक्त व्यक्तियों या विनिर्दिष्ट रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कुछ बीमा पॉलिसियां वास्तविक बीमित पूंजी की रकम के दस प्रतिशत से अधिक वार्षिक प्रीमियम का उपबंध करती हैं। दस प्रतिशत की सीमा के कारण ये पॉलिसियां धारा 10 के खंड (1)घ) के अधीन छूट के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 80ग के अधीन कटौती 'वास्तविक बीमित पूंजी राशि' के संदत्त प्रीमियम के 10% तक छूट की पात्र है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि 01.04.2013 को या उसके पश्चात् जारी बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त बोनस के रूप में आबंटित राशि समेत कोई राशि किसी व्यक्ति के जीवन के बीमा हेतु जो

(i) धारा 80प में यथानिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति या गंभीर निःशक्त व्यक्ति है, या

(ii) धारा 80घघख के अधीन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट रोग या व्याधि से पीड़ित है।

धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट प्राप्त होगा यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान किन्हीं वर्षों के लिए संदत्त प्रीमियम वास्तविक बीमित पूंजी राशि के 15% से अधिक नहीं है।

धारा 80ग की उपधारा (3क) की संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि 01.04.2013 को या उसके पश्चात् जारी की गई पॉलिसी के संबंध में संदत्त प्रीमियम के कारण उक्त धारा के अधीन कटौती ऊपर निर्दिष्ट व्यक्ति के जीवन बीमा हेतु उस सीमा तक अनुज्ञात होगी कि संदत्त प्रीमियम वास्तविक बीमित पूंजी राशि के 15% से अधिक नहीं है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4 और खंड 10]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के सदृश स्वास्थ्य स्कीमों में अभिदान के लिए कटौती

धारा 80घ के विधमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करते है कि निर्धारिती, जो व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य या परिवार के स्वास्थ्य के संबंध में बीमा करने या इसे प्रवृत करने के लिए, या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) या निर्धारिती या इसके परिवार के निवारक स्वास्थ्य परीक्षण के कारण किए गए किसी संदाय, जो कुल पन्द्रह हजार रुपए से अधिक नहीं है, के कर से प्रभार्य आय में से पूर्व वर्ष में संदत्त संपूर्ण रकम निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में कटौती किए जाने के लिए अनुज्ञात की जाती है।

यह देखा गया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अन्य स्वास्थ्य स्कीमें हैं जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के सदृश हैं परन्तु ऐसी स्कीमों के अभिदाताओं के लिए ऐसी कोई कटौती स्कीम उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्कीमों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीमों के बराबर लाने के लिए, धारा 80घ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी अन्य स्वास्थ्य स्कीम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, में निर्धारिती द्वारा किए गए किसी संदाय या अभिदाय की बाबत उक्त सीमा के भीतर इस धारा के अधीन कटौती का फायदा अनुज्ञात किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 12]

धारा 80 गगछ के अधीन कटौती की परिधि और इसकी पात्रता का विस्तार करना

धारा 80 गगछ के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-2, यह उपबंध करते है कि कोई निवासी व्यक्ति, जिसने केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार सूचीबद्ध साधारण शेयर अर्जित किए हैं। उस सीमा तक ऐसे साधारण शेयरों में विनिधानित रकम की पचास प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाएगी कि उक्त कटौती पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है। यह कटौती एक समय कटौती है और इस प्रकार विनिधान की गई रकम की बाबत एक निर्धारण वर्ष में ही उपलब्ध है। यह कटौती ऐसे किसी नए फुटकर विनिधानकर्ता के लिए उपलब्ध है जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक नहीं है। धारा 80 गगझ के अधीन राजीव गांधी साधारण शेयर बचत स्कीम अधिसूचित की गई है।

नए फुटकर विनिधानकर्ताओं द्वारा पूंजी बाजार में विनिधान के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन को उदार बनाने की दृष्टि से, धारा 80गगछ के उपबंधों का संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों में विनिधान भी धारा 80गगछ के उपबंधों

के अनुसार कटौती के लिए पात्र होगा। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ''साधारण शेयरोन्मुख निधि'' का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (38) में उसका है।

यह उपबंध करने का यह और प्रस्ताव किया जाता है कि इस धारा के अधीन, कटौती ऐसे तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अनुज्ञात की जाएगी जो ऐसे पूववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के साथ आरंभ होते हैं जिनमें सूचीबद्ध साधारण शेयर या सूचीबद्ध यूनिटें ऐसे किसी नए फुटकर विनिधानकर्ता द्वारा पहली बार अर्जित की गई थी जिसकी सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए सकल आय बारह लाख रुपए से अधिक नहीं थी।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा। *[खंड 11]*

निक्षेपागारों की विनिधानकर्ता संरक्षण निधि की आय के लिए छूट

2012 में यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) विनिमय, 1996 के उपबंधों के अधीन निक्षेपागारों से अनिवार्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि वे विनिधानकर्ता संरक्षण निधि की स्थापना करें।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 10 (23डक) यह उपबंध करती है कि मान्यता प्राप्त स्टाफ विनिमय द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता सरक्षण निधि द्वारा प्राप्त किए मान्यताप्राप्त स्टाफ विनिमय से अभिदानों के रूप में आय कराधान से छूट प्राप्त होगी।

उसी रूपरेखा के आधार पर किसी निक्षेपागार से अंशदान के माध्यम से निक्षेपागार द्वारा सेवा, सेबी, द्वारा विहित विनियमों के अनुसार गठित निक्षेपकर्ता संरक्षण निधि की आय को मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों द्वारा स्थापित छूट की समान शर्तों के अधीन रहते हुए कुल आय की संगणना करते हुए आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

तथापि, जहां निधि के जमाखाते में ऐसी कोई रकम है जिसे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आय-कर से प्रभारित नहीं किया गया है और जिसे पूर्णतः या भागतः किसी निक्षेपागर के साथ बांटा गया है, इस प्रकार बांटी गई रकम को पूववर्ती वर्ष, जिसमें ऐसी आय बांटी गई है, की आय समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। *[खंड 4]*

राष्ट्रीय बाल निधि को दिए गए संदान पर शत प्रतिशत कटौती

धारा 80छ के विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारिती को कतिपय निधियों और संस्थाओं को उसके द्वारा किए गए दानों की बाबत इसकी कुल आय से कटौती अनुज्ञात की गई है। यह कटौती किए गए दानों की धारा 80छ की उपधारा (1) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट कतिपय निधियों और संस्थाओं को किए गए दानों की दशा के सिवाय, जहां कटौती शत प्रतिशत की दर पर अनुज्ञात की गई है, रकम के पचास प्रतिशत की दर पर अनुज्ञात की गई है। राष्ट्रीय बाल निधि में किए गए दानों की दशा में, कटौती दान की गई रकम के पचास प्रतिशत की दर पर अनुज्ञात है।

राष्ट्रीय महत्ता की निधियों को दानों को, दान की गई रकम की साधारणतः शतप्रतिशत कटौती का उपबंध किया गया है। चूंकि राष्ट्रीय बाल निधि भी एक राष्ट्रीय महत्ता की निधि है, किसी निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने के लिए निधि में संदाय की गई किसी राशि के संबंध में शतप्रतिशत कटौती अनुज्ञात करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2014 से लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। *[खंड 14]*

नेशनल फायनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड को छूट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) का सृजन भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) के उत्तरवर्ती के रूप में भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 द्वारा किया गया था। एसयूयूटीआई को इसकी आय के संबंध में आय-कर से छूट 31 मार्च 2014 तक उपलब्ध थी।

एसयूयूटीआई का परिसमापन हो गया है और इसका स्थान केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन एक नई कंपनी ने ले लिया है। इसका निगमन नेशनल फायनेशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड) एनएफएचसीएल के रुप में 7 जून 2012 को किया गया है।

एसयूयूटीआई के समान एनएफएचसीएल के छूट का उपबंध करने के लिए नेशनल फायनेशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को 31.3.2014 को यह उससे पूर्व हुई, उद्भूत या प्राप्त इसकी आय के संबंध में छूट प्रदान करने के लिए धारा 10 का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और निर्धारण वर्ष 2014-15 के संबंध में लागू होंगे। *[खंड 4]*

विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभाशों पर कर की निम्न दर

आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी (जिसमें उसकी 26% या अधिक शेयर धृति है) से प्राप्त सकल लाभाशों पर कराधान का उपबंध करती है यदि ऐसे लाभांश को वित वर्ष 2012-13 अर्थात निर्धारण वर्ष 2012-14 के लिए कुल आय में शामिल किया गया है।

उपरोक्त उपबंध को निवासियों द्वारा, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, विदेशों में किए गए विनिधानों से अर्जित आय के संप्रत्यार्वन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में लाया गया था।

एक और वर्ष के लिए कर प्रोत्साहन को जारी रखने हेतु यह प्रस्ताव है कि धारा 15खखछ का संशोधन किया जाए ताकि इस धारा के उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 में भी किसी विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी प्राप्त लाभांशों के द्वारा आय की बाबत लागू होने का विस्तार किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 के संबंध में लागू होगा। *[खंड 26]*

लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के प्रपातीय प्रभाव को दूर करना

अधिनियम की दारा 115ण किसी देशी कंपनी के वितरित लाभों के कराधान के लिए उपबंध करती है। इसमें यह उपबंध है कि लाभांशों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त कोई रकम, चाहे वह वर्तमान या संचयी लाभों में से है, 15% की दर से कर के लिए दायी होगी। यह कर लाभांश वितरण कर के रूप में ज्ञात है। इस वितरित लाभांश को प्राप्तिकर्ता के हाथ में कर से छूट प्राप्त है।

आय-कर अधिनियम की धारा 115खखछ किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी से (जिसमें उसकी शेयर घृति 26% या अधिक है) प्राप्त सकल लाभांशों पर 15% की दर से कराधान के लिए उपबंध करती है।

धारा 115-ण यह उपबंध करती है कि डीडीटी (अर्थात, किसी कंपनी की दशा में संदेय लाभांश) के लिए कर आधार में से उसकी समनुषंगी से प्राप्त लाभांश की रकम को घटा दिया जाएगा, यदि ऐसी समनुषंगी ने ऐसे लाभांश पर संदेय डीडीटी की संदाय कर दिया है। यह उपबंध किसी बहु-टियर संरचना में प्रपातीय प्रभाव के निराकरण को वहां सुनिश्चित करता है, जहां किसी देशी कंपनी द्वारा उसकी ऐसी समनुषंगी से, जो कि स्वयं भी देशी कंपनी है, प्राप्त लाभांश को उसके शेयर धारकों में वितरित किया जाता है।

किसी देशी कंपनी द्वारा, समान परिस्थितियों में किसी विदेशी समनुषंगी (अर्थात ऐसी विदेशी कंपनी जिसमें देशी कंपनी पचास प्रतिशत से अधिक साधारण शेयर पूंजी को धारण करती है) से प्राप्त लाभांशों की बाबत प्रदातीय प्रभाव को दूर करने के लिए धारा 115ण का संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहां किसी विदेशी समनुषंगी से प्राप्त लाभांशों पर देशी कंपनी द्वारा धारा 115खखक के अधीन कर संदेय है, वहां उसी वर्ष में धृति कंपनी द्वारा वितरित किसी लाभांश को, ऐसे लाभांश की सीमा तक अधिनियम की धारा 115ण के अधीन लाभांश वितरण कर के अधीन नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 जून 2013 से प्रभावी होगा। *[खंड 27]*

कतिपय रुपया अंकित मूल्य के दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के मामले में ब्याज पर विधारित कर की रियायती दर

धारा 194ठग के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि यदि कोई भारतीय कंपनी के बाहर किसी स्रोत से या तो ऋण करार के अधीन या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित, दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों को जारी करके विदेशी मुद्रा में धन उधार लेती है, तो किसी अनिवासी व्यक्ति को ब्याज का संदाय 5% की रियायती दर के अध्यधीन होगा।

भारत में भारतीय कंपनी द्वारा जारी दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र (रूपया अंकित मूल्य का बंधपत्र) में अनिवासी द्वारा अभिदाय को सुकर बनाने के लिए अधिनियम की धारा 194ठग का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई अनिवासी किसी अभिहित बैंक खाते में विदेशी करेंसी जमा करता है और रुपए में यथा संपरिवर्तित ऐसा धन किसी भारतीय कंपनी के दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र के निर्गमन के अभिदाय के लिए उपयोग किया जाता है, वहां इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा लिए गए ऐसे उधार के विदेशी करंसी समझा जाएगा। अतः कर की घटी हुई दर का फायदा इस धारा में उपबंधित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे अभिदाय पर उद्‌भूत ब्याज आय की बाबत ऐसे अनिवासी को उपलब्ध होगा।

अभिहित बैंक खाता विदेशी करेंसी में धन राशि के निक्षेप के प्रयोजन के लिए एक मात्र रुपये होना चाहिए और ऐसे धन का उपयोग, किसी भारतीय कंपनी रूपया का अंकित मूल्य दीर्घकालिक अवसंरचना बधपत्र निर्गमन में अभिदाय के लिए संपरिवर्तन के पश्चात् उपयोग किया जाना है।

यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होगा। *[खंड 43]*

प्रतिभूतिकरण न्यासों का कराधान

आय-कर अधिनियम की धारा 161, यह उपबंध करती है कि किसी न्यास के मामले में, यदि उसकी आय कारबार लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती हैं या वे उसमें सम्मिलित है तो ऐसे न्यास की आय पर न्यास के पास अधिकतम सीमांत दर पर कर लगाया जाएगा।

प्रतिभूतिकरण क्रियाकलापों को आरंभ करने के लिए न्यास के रूप में गठित विशेष प्रयोजन अस्तित्व आयकर अधिनियम के अधीन कराधान की बाबत विशेष व्यवस्था के अभाव के कारण समस्या का सामना कर रहे थे। विद्यमान उपबंधों के कारण न्यास के स्तर पर कराधान विशिष्टतया वहीं अवरोधक समझा गया था जहां न्यास में विनिधानकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं, जो पारस्परिक निधियां नई पेंशन स्कीम आदि जैसे आय-कर अधिनियम के उपबधों के अधीन कराधान से छूट प्राप्त है।

प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए, प्रतिभूतिकरण के क्रियाकलाप से किसी न्यास के रूप में गठित प्रतिभूतिकरण अस्तित्वों की आय के कराधान की बाबत विशेष कराधान व्यवस्था का उपबंध करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव है कि धारा 10 का संशोधन किया जाए और विशेष कर व्यवस्था का उपबंध करने के लिए एक नया अध्याय 12ङक भी अन्तःस्थापित किया जाए। विशेष व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) ऐसे प्रतिभूतिकरण साधनों की दशा में, जो न्यास के रूप में गठित किए गए हैं और जिनके क्रियाकलाप भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं तो ऐसे न्यासों के प्रतिभूतिकरण के क्रियाकलाप से प्राप्त आय कराधान से छूट प्राप्त होगी।

(ii) प्रतिभूतिकरण न्यास पारस्परिक निधि के मामले में उद्‌गृहीत वितरण कर के आधार पर अपने विनिधानकर्ताओं को वितरित आय पर अतिरिक्त आयकर संदाय करने का दायी होगा। ऐसे विनिधानकर्ताओं को, जो व्यष्टिक और अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब है, को किए जा रहे वितरण की दशा में 25% की दर पर और अन्य मामलों में 30% की दर पर अतिरिक्त आय कर उद्‌गृहीत किया जाएगा। कोई अतिरिक्त आय कर संदेय नहीं होगा। यदि प्रतिभूतिकरण द्वारा वितरित आय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है जो अधिनियम के अधीन कर से छूट प्राप्त हैं।

(iii) वितरण कर के उदग्रहण के परिणामस्वरूप किसी विनिधाकर्ता द्वारा प्राप्त वितरित आय कर से छूट प्राप्त होगी।

(iv) प्रतिभूतिकरण न्यास विनिर्दिष्ट समय के भीतर असंदत्त अतिरिक्त आयकर की रकम पर प्रत्येक मास या उस मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(v) आयकर के संदाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या प्रतिभूतिकरण न्यास उसके द्वारा संदेय कर की रकम की बाबत व्यतिक्रम होने पर या केन्द्रीय सरकार के खाते में अतिरिक्त आय कर जमा न किए जाने की दशा में, उसे निर्धारिती समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 जून 2013 से प्रभावी होगा। *[खंड 4 और खंड 30]*

प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी)

विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में संव्यवहारों पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 द्वारा लाया गया था।

नीचे यथा उपदर्शित अनुसार कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों में एसटीटी दरों को कम करने के लिए वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2004 की धारा 98 का संशोधन करने का प्रस्ताव हैः-

सारणी

क्र.सं.	कराधेय प्रतिभूति सं व्यवहार की प्रकृति	द्वारा संदेय	विद्यमान दर (प्रतिशत में)	प्रस्तावित दर (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में प्रविष्ट साम्य उन्मुख निधि की यूनिटों का परिदान आधारित क्रय	क्रेता	0.1	शुन्य
2.	किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में प्रविष्ट साम्य उन्मुख निधि की यूनिटों का परिदान आधारित विक्रय	विक्रेता	0.1	0.001
3.	प्रतिभूति में भविष्य का विक्रय	विक्रेता	0.017	0.01
4.	किसी साम्य उन्मुख यूनिट का किसी पारस्परिक निधि को विक्रय	विक्रेता	0.25	0.001

प्रतिभूति संव्यवहार कर की दरों में प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार उस तारीख को या उसके पश्चात् किए गए किसी संव्यवहार को लागू होंगे। *[खंड 125]*

कतिपय अनुकल्पी विनिधान निधियों की पास थ्रू प्रास्थिति

आय-कर अधिनियम की धारा 10(23चख) के विद्यमान उपबंध करते हैं कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी (वीसीसी) या जोखिम पूंजी निधि (वीसीयू) की जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान से कोई आय कराधान से छूट प्राप्त होगी। अधिनियम की धारा 115प उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा वीसीसी या वीसीएफ में विनिधान से हुई या उद्भूत या प्राप्त आय उसी रीति में कराधेय होगी मानो कि व्यक्ति ने वीसीयू में प्रत्यक्ष विनिधान किया है।

ये धाराएं केवल उन निधियों को कर पास थ्रू प्रास्थिति (अर्थात् आय वीसीएफ/वीसीसी के स्थान पर निवेशकों द्वारा कराधेय है) का उपबंध करती है, जो सेबी (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 में यथा उपबंधित विनिधान और अन्य शर्तों को पूरा करती हैं। इसके अतिरिक्त, पास थ्रू प्रास्थिति केवल उस आय की बाबत ही उपलब्ध है जो वीसीयू में विनिधान से निधि को ऐसी कंपनी होने के नाते, जो सेबी विनियम, 1996 में यथा उपबंधित शर्तों को पूरा करने से उद्भूत होती है।

सेवी (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 (एआईएफ विनियम) ने सेबी (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 (वीसीएफ विनियम) को 21 मई, 2012 से प्रतिस्थापित कर दिया है।

ऐसी ही जोखिम पूंजी निधियों जो नए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं और किसी जोखिम पूंजी उपक्रम के संदर्भ में विनिधान की उन्ही शर्तो के अधीन हैं, को पास थ्रू के अभिलाभ का उपबंध करने हेतु, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए धारा 10 (23चख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है-

(i) विद्यमान वीसीएफ और वीसीसी को (अर्थात् वे जो 21/05/2012 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत की गई है) और जो वीसीएफ विनियमों द्वारा जैसे कि वे एआईएफ विनियमों द्वारा उनके निरसन से पूर्व थे, विनियमित हैं पास थ्रू प्रास्थिति का विद्यमान उपलब्ध फायदा जारी रहेगा।

(ii) एआईएफ विनियमों के संदर्भ में जोखिम पूंजी कंपनी को कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है और जोखिम पूंजी निधि को न्यास के रूप में स्थापित निधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे प्रवर्ग I के उप प्रवर्ग के रूप में अनुकल्पी विनिधान निधि जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैः-

(क) यह कि उसकी विनिधानीय निधियों का कम से कम दो तिहाई असूचीबद्ध शेयरों या साम्य से सम्बद्ध जोखिम पूंजी उपक्रमों के लिखतों में विनिधान किया जाता है।

(ख) ऐसे एआईएफ द्वारा किसी वीसीयू, जो सहबद्ध कंपनी है, में कोई विनिधान नहीं किया गया है।

(ग) एआईएफ के रूप में गठित किसी न्यास के यूनिट या एआईएफ के रूप में गठित किसी कंपनी के शेयर, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

(iii) एआईएफ विनियोगों के संदर्भ में, जोखिम पूंजी उपक्रम को उसी रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिस रूप में वह अनुकल्पी विनिधान निधि विनियमों में परिभाषित है।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और पश्चात्वर्त्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा। *[खंड 4]*

ङ. कर आधार को व्यापक बनाना और कर परिवर्जन-रोधी उपाय

कतिपय स्थावर संपत्तियों(कृषि भूमि से भिन्न)के अंतरण पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस)

आय-कर नियम, 1962 के नियम 114ख के साथ पठित आय-कर अधिनियम की धारा 139क के अधीन एक कानूनी अपेक्षा है कि 5 लाख रुपये या अधिक के लिए किसी स्थावर संपत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित दस्तावेजों में स्थायी लेखा संख्यांक (पेन) को कोट किया जाए। तथापि, रजिस्ट्रार द्वारा वार्षिक सूचना विवरणियों में विभाग को प्रस्तुत जानकारी यह उपदर्शित करती है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 30 लाख रुपए या अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति के अधिकांश क्रेताओं या विक्रेताओं ने संपति के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों में पेन को या तो कोट नहीं किया था अथवा अविधिमान्य पेन को कोट किया था।

अधिनियम के विद्यमान उपबंधो के अधीन, निवासियों को वेतन, ब्याज, कमीशन, दलाली, वृत्तिक सेवाओं आदि के माध्यम से किए गए कतिपय विनिर्दिष्ट संदायों पर स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है। किसी अनिवासी द्वारा किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण पर अंतरिती से स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है। तथापि, किसी निवासी द्वारा, कतिपय स्थावर संपत्तियों के अनिवार्य अर्जन के सिवाय, स्थावर संपत्ति के अंतरण पर ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। भू संपदा के क्षेत्र में संव्यवहारों को रिपोर्ट करने और साथ ही समय के पूर्वतम बिन्दु पर कर के संग्रहण के लिए एक तंत्र स्थापित करने हेतु यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 194झक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि प्रत्येक अंतरिती, किसी निवासी अंतरक को किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में किसी राशि का संदाय करते समय या राशि को जमा करते समय, ऐसी राशि के 1% की दर से कर की कटौती करेगा।

छोटे करदाताओं पर अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए, यह और प्रस्ताव है कि इस उपबंध के अधीन वहां किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी, जहां किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल की कुल रकम पचास लाख रुपए से कम है।

यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होगा। *[खंड 42]*

असूचीबद्ध शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने के लिए कंपनी द्वारा वितरित आय पर अतिरिक्त आय-कर

धारा 2(22)(ङ) के विद्यमान उपबंध, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लाभांशों की परिभाषा का उपबंध करती है। धारा 115-ण कंपनी दर, उस समय लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है, जब वह अपने शेयर धारकों को किसी लाभांश का वितरण, उनकी घोषणा या उनका संदाय करती है। डीडीटी के उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप, शेयरधारकों द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम को शेयरधारक की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

शेयरधारक को कंपनी द्वारा शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने पर प्राप्त प्रतिफल को लाभांश के रूप में नहीं माना जाता है किन्तु वह अधिनियम की धारा 46क के अधीन पूंजी अभिलाभ के रूप में कराधेय है।

वितरणीय आरक्षिति रखने वाली किसी कंपनी के पास अपने शेयरधारकों को उसे वितरित करने के दो विकल्प होते हैं या तो शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा और संदाय द्वारा या उसके द्वारा नियत किए गए प्रतिफल पर अपने स्वयं के शेयरों के क्रय (शेयरों का वापस क्रय) द्वारा। पहले मामले में, कंपनी द्वारा संदाय डीडीटी के अधीन है तथा शेयर धारकों के हाथों में आय छूट प्राप्त है। दूसरे मामले में शेयरधारकों के हाथों में आय पूंजीगत आभिलाभ के रूप में कराधेय है।

कर परिवर्जन स्कीम के भाग के तौर पर असूचीबद्ध कंपनियां डीडीटी के माध्यम से से कर के संदाय से बचने के लिए लाभांशों के संदाय के बजाय, शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेती है, विशेषकर वहां जहां शेयरधारकों को उद्भूत पूंजीगत अभिलाभ या तो कर से प्रभार्य नहीं है या निम्न दर पर कर प्रभार्य हैं।

ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए एक नया अध्याय 12-घक अंतःस्थापित करके अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी द्वारा अपने स्वयं के असूचीबद्ध शेयरों के क्रय के लिए संदत्त प्रतिफल, जो ऐसे शेयरों को जारी करने के समय कंपनी द्वारा प्राप्त राशि से अधिक है (वितरित आय), कर से प्रभारित होगी तथा कंपनी शेयरधारक को संदत्त वितरित आय के 20% की दर पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने की दायी होगी। कंपनी द्वारा संदेय अतिरिक्त आय-कर उसी प्रकार अंतिम कर होगा जिस प्रकार लाभांश वितरण कर है। कंपनी द्वारा ऐसे वापस क्रय के संबंध में शेयरधारकों को उद्भूत आय छूट प्राप्त होगी जहां कंपनी शेयरों के वापस क्रय पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने की दायी है।

यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होगा। *[खंड 4 और खंड 28]*

कतिपय मामलों में स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना

वर्तमान में, आय-कर अधिनियम की धारा 50ग के अधीन कोई पूंजीगत आस्ति, जो स्थावर संपत्ति है, प्रतिफल के लिए अंतरित की जाती है, जो अंगीकार किए गए किसी राज्य सरकार के प्राधिकारी द्वारा ऐसे अंतरण की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम है तो ऐसा मूल्य (स्टांप शुल्क मूल्य) प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाता है। ये उपबंध अंतरक द्वारा स्टाक-इन- ट्रेड के रूप में धारित स्थावर संपत्ति के अंतरण को लागू नहीं होते।

एक नई धारा 43गक का अंतःस्थापन करके यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी निर्धारिती द्वारा ऐसी किसी आस्ति के (पूंजी आस्ति से भिन्न), जो भूमि या भवन या दोनों हो, अंतरण का प्रतिफल, स्टांप शुल्क मूल्य से कम है, वहां इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन गणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां किसी आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल का मूल्य नियत करने संबंधी करार की तारीख और आस्ति के ऐसे अंतरण के रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं है, वहां स्टांप शुल्क मूल्य को करार की तारीख को न कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख को ऐसे अंतरक के लिए पूर्ण मूल्य समझा जाएगा। तथापि, यह अपवाद केवल उन मामलों में लागू होगा जहां अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम या उसका भाग करार की तारीख को या उससे पूर्व नकद से भिन्न अन्य किसी ढंग से प्राप्त की जाती है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे। *[खंड 8]*

अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त स्थावर संपत्ति की कराधेयता

आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) के उपखंड (ख) के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि जहां कोई स्थावर संपत्ति जिसका स्टांप शुल्क मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा प्रतिफल के बिना प्राप्त की जाती है वहां ऐसी संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य पर कर अन्य स्रोतों से आय के रूप में किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब पर प्रभारित किया जाएगा ।

विद्यमान उपबंध उस स्थिति को सम्मिलित नहीं करता है जहां कोई स्थावर संपत्ति व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल द्वारा प्राप्त की जाती है। धारा 56 की उपधारा (2)क खंड (vii) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई ऐसी स्थावर संपत्ति किसी प्रतिफल के बदले प्राप्त की जाती है जिसका स्टांप शुल्क संपत्ति के मूल्य से पचास हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है, अन्य स्रोतों से आय के रूप में व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब कर से प्रभार्य होगा।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि करार की तारीख और रजिस्ट्रीकरण की तारीख के बीच एक समयान्तर हो सकता है, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां स्थावर संपत्ति के अन्तरण के लिए प्रतिफल की रकम नियत करने वाले करार की तारीख तथा रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक समान नहीं है वहां स्टांप शुल्क मूल्य को रजिस्ट्रीकरण की तारीख के बजाय करार की तारीख के रूप में माना जाए। तथापि,यह अपवाद केवल उस मामले में लागू होगा जहां प्रतिफल की रकम का या उसके किसी भाग का संदाय ऐसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम को नियत करने वाले करार की तारीख को या उससे पूर्व नकद से भिन्न किसी ढंग द्वारा किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 9]

च. सुव्यवस्थीकरण के उपाय

साधारण परिवर्जन-रोधी नियम (जीएएआर)

साधारण परिवर्जन-रोधी नियम (जीएएआर) को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा आय-कर अधिनियम में सम्मिलित किया गया था। जीएएआर से संबंधित सारवान उपबंध आय-कर अधिनियम के अध्याय 10 (जिसमें धारा 95 से धारा 102 सम्मिलित है) में अंतर्विष्ट हैं। जीएएआर का अवलंब लेने और उसके परिणामस्वरूप निर्धारण आदेश पारित करने के तंत्र से संबंधित प्रक्रियात्मक उपबंध धारा 144खक में अंतर्विष्ट हैं। अध्याय 10क और साथ ही धारा 144खक के उपबंध 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे।

जीएएआर से संबंधित उपबंधों के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसके व्यापक निर्देश-निबंधनों में पणधारियों के साथ परामर्श और जीएएआर दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करना और उनके कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति तैयार करना सम्मिलित थे। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों में, विधायी संशोधनों, नियमों को तैयार करने के लिए सुझाव और जीएएआर के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश सम्मिलित थे। विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशों को कुछ उपांतरणों के साथ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सरकार द्वारा स्वीकार की गई कुछ सिफारिशों के लिए अध्याय 10क और धारा 144खक के उपबंधों में संशोधन अपेक्षित है।

सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए, अधिनियम में वर्तमान में उपबंधित जीएएआर उपबंधों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

(क) अध्याय 10क और धारा 144खक के उपबंध 1 अप्रैल, 2014 की बजाय 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे।

(ख) कोई ठहराव, जिसका मुख्य प्रयोजन कर लाभ प्राप्त करना है, अनुज्ञेय परिवर्जन ठहराव माना जाएगा। धारा 96 के विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि इसे ''मुख्य प्रयोजन या मुख्य प्रयोजनों में से एक'' होना चाहिए, तदनुसार संशोधित करना का प्रस्ताव है।

(ग) वे कारक जैसे कि वह अवधि या समय जिसके लिए ठहराव विद्यमान था; निर्धारिती द्वारा करों के संदाय का तथ्य; और यह तथ्य कि ठहराव द्वारा एक विकास मार्ग प्रदान किया गया, सुसंगत होगा, किन्तु यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि ठहराव अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव है। धारा 97 के विद्यमान उपबंध जो उपबंधित करते हैं कि ये कारक सुसंगत नहीं होंगे, तदनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है।

(घ) किसी ठहराव के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है, यदि यह कारबार जोखिमों, या कुल नकद प्रवाह पर कर लाभ के कारण किसी प्रभाव के अलावा महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रखता है, केवल 10-क को लागू होने के लिए प्राप्त किया जाएगा। धारा 97-क को लागू होने के लिए प्राप्त किया जाएगा। धारा 97 में यथा अंतर्विष्ट वर्तमान उपबंध यह उपबंधित करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है कि किसी ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व नहीं होने वाला समझा जाएगा यदि उसमें उपबंधित शर्त का समाधान होता है।

(ङ) अनुमोदनकर्ता पैनल का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और एक सदस्य, जो मुख्य आय-कर आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य होगा और एक सदस्य प्रत्यक्ष-कर, कारबार लेखा और अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धतियों जैसे मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाला शिक्षाविद् या विद्वान होगा। धारा 144खक के विद्यमान उपबंध कि अनुमोदनकर्ता पैनल तीन से अन्यून सदस्यों से, जो आय-कर प्राधिकारी होंगे और भारतीय विधि सेवा के एक सदस्य से मिलकर बनेगा, को तदनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है।

(च) अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा जारी किए गए निदेश निर्धारिती के साथ-साथ आय-कर प्राधिकारियों पर भी आबद्धकर होंगे और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे निदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। धारा 144 खक के विद्यमान उपबंध कि अनुमोदनकर्ता पैनल का निदेश संशोधित करने का प्रस्ताव है।

(छ) केन्द्रीय सरकार, जैसा आवश्यक हो, एक या अधिक अनुमोदनकर्ता पैनलों का गठन कर सकेगी तथा अनुमोदनकर्ता पैनल का कार्यकाल साधारणतया एक वर्ष होगा और जिसे समय-समय पर तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। धारा 144खक के उपबंधों को तदनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव करने का प्रस्ताव है।

(ज) धारा 102 के वर्तमान उपबंधों में दो पृथक परिभाषाऐं अर्थात् ''संबद्ध व्यक्ति'' तथा ''सहबद्ध व्यक्ति'' संयोजित की जाएंगी तथा केवल एक समेकित उपबंध ''सहबद्ध व्यक्ति'' को परिभाषित करने के लिए होगा। धारा 102 के उपबंधों को तदनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है।

प्रक्रियात्मक विषयों से संबंधित अन्य धाराओं में पारिणामिक संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे।

[खंड 21, खंड 22, खंड 23, खंड 24, खंड 34, खंड 35, खंड 36, खंड 37, खंड 38, खंड 39, खंड 44, खंड 45, खंड 46, खंड 47 और खंड 49]

निधियों द्वारा वितरित आय पर कर का सुव्यवस्थीकरण

धारा 115द के विद्यमान उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा उसके यूनिट धारकों को वितरित आय की कोई रकम अतिरिक्त आयकर से प्रभार्य है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक व्यष्टि और अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब नही है,साम्या-उन्मुख निधि से भिन्न किसी निधि द्वारा किए गए किसी वितरण की दशा में, कर की दर 30% है जबकि किसी व्यष्टि या अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब को वितरण की दशा में यह निधि की प्रकृति पर निर्भर करते हुए 12.5 % या 25% है।

साम्या-उन्मुख निधि से भिन्न सभी प्रकार की निधियों के लिए एक समान कराधान का उपबंध करने के लिए,यह प्रस्ताव है कि उन सभी मामलों में जहां वितरण किसी व्यष्टि या किसी अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब को किया जाता है, वितरित आय पर कर की दर को 12.5% से बढ़ाकर 25% किया जाए।

इसके अतिरिक्त, गैर बैंककारी वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में गठित अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) की दशा में, किसी अनिवासी विनिधानकर्ता को निधि द्वारा किया गया ब्याज का संदाय 5% की रियायती दर पर कराधेय है। तथापि, पारस्परिक निधि के रूप में गठित अवसंरचना ऋण निधि द्वारा आय के वितरण की दशा में, वितरण कर पारस्परिक निधि की दशा में ऊपर वर्णित दरों पर उद्गृहीत किया जाता है।

किसी अवसंरचना ऋण निधि, चाहे वह आईडीएफ-एनबीएफसी या आईडीएफएमएफ के रूप में स्थापित की गई हो या नहीं ये किसी अनिवासी विनिधानकर्ता द्वारा किए गए विनिधान से आय के कराधान में समानता लाने के लिए, धारा 115द में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वितरित आय पर 5% की दर पर कर, किसी अनिवासी विनिधानकर्ता को आईजीएफ स्कीम के अधीन किसी पारम्परिक निधि द्वारा वितरित आय की बाबत संदेय होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होगा। *[खंड 29]*

शुद्ध धन की उपाबंध रहित विवरणी को इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने को सुकर बनाने हेतु समर्थकारी उपबंध

धनकर अधिनियम की धारा 14 विहित प्ररूप में मूल्यांकन की तारीख को शुद्ध धन की ऐसी विवरणी के लिए उपबंध करती है जिसे शुद्ध धन की विशिष्टियों और ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जांए, को उपवर्णित करने वाली विहित रीति में सत्यापित किया गया है इस समय, धन कर नियमों के साथ पठित धनकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन शुद्धधन की विवरणी के साथ कतिपय दस्तावेजों, रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

आय-कर अधिनियम की धारा 139ग और धारा 139घ में, आय-कर निर्धारितियों के कतिपय प्रवर्ग द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप में आय की उपबंध रहित विवरणी के फाइल करने को सुकर बनाने के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। शुद्ध धन की उपबंध रहित विवरणी के फाइल करने को सुकर बनाने के लिए उसी रूप-रेखा पर धनकर अधिनियम में नई धारा 14क और 14ख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

इसके परिणामस्वरूप, धन कर अधिनियम की धारा 46 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करती है।

ये संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होंगे। *[खंड 52 और खंड 53]*

राज्य सरकार के उपक्रमों की दशा में कतिपय फीस,प्रभार आदि को अननुज्ञात करना

धारा 40 के विद्यमान उपबंधों में वे रकमें विनिर्दिष्ट हैं, जिनकी "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी। उक्त धारा के अधीन अकटौती योग्य व्यय के अंतर्गत सीमांत फायदा कर, आय-कर, धन कर आदि जैसे कानूनी शोध्य भी है।

कुछ राज्य सरकार उपक्रमों के आय कर निर्धारण की बाबत इस बात के लिए विवाद उद्भूत हुए हैं कि क्या राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से उसके उपक्रमों से उद्गृहीत या प्रभारित विशेषाधिकार फीस, अनुज्ञप्ति फीस, स्वामिस्व आदि के रूप में संदत्त कोई रकम, ऐसे उपक्रमों की आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए कटौती योग्य है अथवा नहीं। कुछ मामलों में, इस प्रभाव के आदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे उपक्रमों को उद्भूत होने वाला अधिशेष राज्य सरकार में निहित होगा। इसके परिणामस्वरूप, यह दावा किया गया है कि अधिशेष के माध्यम से ऐसी आय कर के लिए दायी नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि राज्य सरकारों के उपक्रम राज्य से भिन्न पृथक् विधिक आस्तित्व हैं और आय-कर के लिए दायी हैं।

राज्य सरकार उपक्रमों के कर आधार की संरक्षा के संबंध में फीस, प्रभार आदि के अनन्य उद्ग्रहण या राज्य सरकारों द्वारा उसके उपक्रमों से रकम के विनियोग के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि फीस या प्रभार के रूप में संदत्त कोई रकम जो राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार उपक्रम पर उद्गृहीत या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उससे विनियोजित कोई रकम "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए "राज्य सरकार उपक्रम" पद को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा तथा तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7]

पूंजी आस्ति की परिभाषा में संशोधन

आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (14) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में "पूंजी आस्ति" पद को किसी प्रकार की ऐसी संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो निर्धारिती द्वारा धारित है, चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या न हो । संपत्तियों के कृषि भूमि सहित, कतिपय प्रवर्गों को

इस परिभाषा से अपवर्जित किया गया है । धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) में यह उपबंध है कि (क) किसी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, जो किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की अधिकारिता में समाविष्ट हो, जिसकी जनसंख्या उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार दस हजार से कम नहीं है, या (ख) किसी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, जो किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अनधिक की ऐसी दूरी के भीतर स्थित हो जिसे केंद्रीय सरकार उस क्षेत्र के नगरीकरण की मात्रा और उसके लिए गुंजाइश को तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (ख) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एरियल रूप से मापित किसी क्षेत्र में ऐसी दूरी के भीतर स्थित भूमि,—(I) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अधिक नहीं है ; या (II) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छह किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अधिक नहीं है ; या (III) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, पूंजी आस्ति का भाग होगी।

"जनसंख्या" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ताकि उससे अन्तिम पूर्वगामी जनगणना अभिप्रेत हो सके जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष के पहले दिन से पूर्व प्रकाशित किए गए हैं।

आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) में,"कृषि आय" और धन कर अधिनियम, 1957 में, "शहरी भूमि" की परिभाषा के संबंध में की ऐसे ही संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे तथा तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3 और खंड 51]

प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी

धारा 10 का खंड (10घ) के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी से भिन्न जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि को छूट प्रदान करते हैं। उक्त खंड (10घ) का स्पष्टीकरण 1 प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी की किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, जो पहले वर्णित व्यक्ति का कर्मचारी था या है या पहले वर्णित व्यक्ति के कारबार, चाहे जो भी हो, से किसी भी रीति मे सम्बद्ध है, के जीवन पर ली गई जीवन बीमा पालिसी के रूप में अभिप्रेत करने को परिभाषित करता है।

यह पाया गया है कि प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी उसकी परिपक्वता से पूर्व महत्वपूर्ण व्यक्ति को समनुदेशित कर दी जाती हैं। प्रमुख व्यक्ति पालिसी पर शेष प्रीमियम का संदाय करता है और इस आधार पर कि पालिसी अब प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी नहीं है, पालिसी के अधीन प्राप्त रकम पर उस आधार पर छूट का दावा करता है। अतः धारा 10(10घ) के अधीन उन नीतियों पर छूट का दावा किया जा रहा है जो मूलतः प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसियां थी किंतु उनकी अवधि के दौरान वे किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित कर दी गई है। न्यायालयों ने भी विधि में इस खामी पर ध्यान दिया है।

इस खामी को दूर करने की दृष्टि से और कर सदांय से बचने के ऐसे व्यवहार पर रोक लगाने के लिए धारा 10 के खंड (10घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रमुख व्यक्ति पालिसी जो उसकी अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को प्रतिफल के साथ या प्रतिफल के बिना समनुदेशित की गई है, को प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी मानना जारी रखा जाएगा।

पूर्वोक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4]

धारा 80छछख और धारा 80छछग के अधीन कटौती के लिए अभिदाय का नकद न होना

धारा 80छछख के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूर्ववर्ष में किसी राजनैतिक दल या किसी निर्वाचन न्यास को अभिदाय की गई राशि की ऐसी भारतीय कंपनी की कुल आय की संगणना करने में कटौती अनुज्ञात की जाएगी। ऐसी ही कटौती किसी निर्धारिती को जो स्थानीय प्राधिकारी और कृत्रिम विधिक व्यक्ति से भिन्न है, धारा 80छछग के अधीन उपलब्ध है। ऐसा अभिदाय करने के लिए किसी विशिष्ट ढंग का उपबंध नहीं किया गया है।

अभिदायकर्ताओं द्वारा रोकड़ में संदायों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से, पूर्वोक्त धाराओं के उपबधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि रोकड़ के माध्यम से अभिदाय की गई किसी राशि के संबंध में किसी कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15 और खंड 16]

कतिपय मामलों में वसूली के प्रयोजनों के लिए "कर शोध्य" वाक्यांश का स्पष्टीकरण

अधिनियम की धारा 179 यह उपबंध करती है कि जहां किसी प्राइवेट कंपनी से शोध्य कर ऐसी कंपनी से वसूल नहीं किया जा सकता, वहां निदेशक (जो पूर्व वर्ष के दौरान ऐसी कंपनी का निदेशक था जिससे गैर-वसूली का संबंध है) ऐसे कर के संदाय के लिए संयुक्त रूप से या पृथक रूप से तब तक दायी होगा जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि कर की गैर-वसूली को उसकी ओर से घोर उपेक्षा; अपकरण या कर्त्तव्य भंग के कारण हुई मानी जा सकती है। यह उपबंध कतिपय मामलों में ऐसी कंपनी के निदेशकों से किसी प्राइवेट कंपनी की, अधिनियम के अधीन, बकाया मांग को पूरा करने के लिए आशयित है। तथापि, कुछ न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए धारा 179 में प्रयुक्त "कर शोध्य" वाक्यांश की व्याख्या की है कि इसमें इस अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति, ब्याज और अन्य राशि को सम्मिलित नहीं किया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए, "कर शोध्य" पद में इस अधिनियम के अधीन संदाय, शास्ति, ब्याज या कोई अन्य राशि सम्मिलित है। इन्हीं आधारों पर "कर शोध्य" पद को स्पष्ट करने के लिए धारा 167ग के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होंगे। *[खंड 40 और खंड 41]*

कतिपय मामलों में अतिरिक्त मजदूरी के लिए कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80जजकक में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उसके औद्योगिक उपक्रम में किसी पूर्व वर्ष में नियोजित नए नियमित कर्मकार को संदत्त अतिरिक्त मजदूरी के तीस प्रतिशत के समान रकम की कटौती के लिए उपबंध करता है। निर्धारण तीन वर्षों के लिए कटौती उपलब्ध है जिनके अन्तर्गत उस पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष भी है जिसमें ऐसा नियोजन उपलब्ध कराया जाता है।

इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है यदि औद्योगिक उपक्रम किसी विद्यमान उपक्रम का विभाजन करके या उसका पुनर्निर्माण करके या किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम का साथ समामेलन करके बनाया जाता है।

धारा 80जजकक के अधीन कर प्रोत्साहन विनिर्माणकारी सेक्टर में ब्ल्यू कालर्ड कर्मचारियों के नियोजन के लिए आशयित था जबकि व्यवहार में, अन्य सेक्टरों में भी अन्य कर्मचारियों के लिए इसका दावा किया जा रहा है। अतः, संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कटौती किसी ऐसी भारतीय कंपनी को उपलब्ध होगी जो अपने कारखाने में माल के विनिर्माण से लाभ प्राप्त करती है। ऐसे कारखाने में निर्धारिती द्वारा नियोजित नए नियमित कर्मकार को संदत्त अतिरिक्त मजदूरी के तीस प्रतिशत के समान रकम की, पूर्व वर्ष में तीन निर्धारण वर्षों के लिए जिनके अन्तर्गत उस पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष भी है, जिसमें ऐसा नियोजन उपलब्ध कराया जाता है, कटौती की जाएगी।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन कटौती तब उपलब्ध नहीं होगी जब कारखाने का किसी अन्य विद्यमान अस्तित्व में विच्छेद या अन्तरण कर दिया जाता है या किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन के परिणामस्वरूप निर्धारिती कंपनी द्वारा उसका अर्जन कर लिया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 18]

कर निवास प्रमाणपत्र

आयकर अधिनियम की धारा 90 केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए कि भारत बाहर किसी देश या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र के सरकार के साथ करार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है—

(i) दोहरे कराधान की बाबत राहत प्रदान करना,

(ii) सूचना का आदान प्रदान, और

(iii) करों की वसूली

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 90क उपरोक्त प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को, विनिर्दिष्ट संगमों के बीच किसी करार को अंगीकार करने के लिए सशक्त करती है।

इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न देशों के साथ विभिन्न दोहरे कराधान परिवर्जन करारों (डीटीएए) को किया है और दोहरे कराधान से अनुतोष के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच किए गए करारों का अंगीकार किया है। डीटीएए और देशी विधान की परिणामकारी स्कीम यह सुनिश्चित करती है कि कि कोई ऐसा करदाता, जो डीटीएए के संविदाकारी देशों में से किसी एक देश का निवासी है, या तो डीटीएए या फिर देशी विधि के लाभप्रद उपबंधों के लागू होने का दावा करने के लिए हकदार है। वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा अंतःस्थापित अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (4) और धारा 90क विहित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाले कर निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को, इन धाराओं में निर्दिष्ट करारों का फायदा प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त बनाती है।

यह उपबंध करने के लिए धारा 90 और धारा 90क का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि कर निवास प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना, धारा 90 और धारा 90क में निर्दिष्ट करारों के अधीन फायदों का दावा करने के लिए आवश्यक किंतु पर्याप्त शर्त नहीं होगी। इस स्थिति का पूर्व में, वित्त विधेयक, 2012 के उपबंधों के स्पष्टीकारक ज्ञापन में धारा 90 की उपधारा(4) और धारा 90क के संदर्भ में उल्लेख किया गया था।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगें।

[खंड 21 और खंड 22]

धारा 132ख के अधीन अभिगृहीत आस्तियों का उपयोजन

धारा 132ख के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि अभिगृहीत आस्तियों को आय-कर अधिनियम, धन-कर अधिनियम, व्यय-कर अधिनियम, दान-कर अधिनियम और ब्याज-कर अधिनियम के अधीन किसी विद्यमान दायित्व की रकम से और ऐसी तलाशी के अनुसरण में निर्धारणों के पूरा होने पर अवधारित दायित्व की रकम से, जिसके अंतर्गत ऐसे निर्धारण के संबंध में उद्गृहीत शास्ति या संदेय ब्याज भी है और जिसकी बाबत ऐसे व्यक्ति ने व्यतिक्रम किया है या यह समझा जाता है कि उसने व्यतिक्रम किया है, समायोजित किया जा सकेगा ।

विभिन्न न्यायालयों ने यह मत अपनाया है कि 'विद्यमान दायित्व' पद में निर्धारिती का अग्रिम कर दायित्व सम्मिलित है, जो कि विधायी आशय के अनुरूप नहीं है। इस उपबंध के पीछे विधायी आशय यह सुनिश्चित करना है कि बकाया कर/ब्याज/शास्ति की वसूली की जा सके और ऐसे करों/ब्याज/शास्ति की वसूली के लिए उपबंध भी किया जा सके जो तलाशी के अनुसरण में निर्धारण के पश्चात् उद्भूत हो सकेंगे।

तदनुसार, पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि अधिनियम के अध्याय 17 के भाग ग के उपबंधों के अनुसार संदेय अग्रिम कर विद्यमान दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है ।

यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होगा । *[खंड 31]*

स्व-निर्धारण कर के संदाय के बिना फाइल की गई आय की विवरणी को त्रुटिपूर्ण विवरणी के रूप में माना जाना

धारा 139 की उपधारा(9) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां निर्धारण अधिकारी यह विचार करता है कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई आय की विवरणी त्रुटिपूर्ण है, वहां वह निर्धारिती को त्रुटि की संसूचना दे सकेगा और पंन्द्रह दिन के भीतर त्रुटि की परिशुद्धि करने का अवसर दे सकेगा। यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटि की परिशुद्धि नहीं की जाती है तो विवरणी को अविधिमान्य विवरणी के रूप में माना जाएगा। ऐसी शर्तों का, जिन्हें पूरा न करने पर विवरणी त्रुटिपूर्ण हो जाती है, उपबंध पूर्वोक्त उपधारा के स्पष्टीकरण में किया गया है।

धारा 140क यह उपबंध करती है कि जहां पूर्व संदत्त कर को हिसाब में लेने के पश्चात किसी विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, वहां निर्धारिती विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व, विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब या व्यतिक्रम या अग्रिम कर के संदाय में किसी विलंब के लिए इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय ब्याज के साथ ऐसे कर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

यह देखा गया है कि बड़ी मात्रा में निर्धारिती अपनी आय की विवरणी स्व-निर्धारित कर के संदाय के बिना फाइल कर रहे हैं।

अतः पूर्वोक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय की विवरणी को तब तक त्रुटिपूर्ण समझा जाएगा, जब तक कि धारा 140क के उपबंधों के अनुसार संदेय कर का ब्याज, यदि कोई है, सहित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पूर्व संदाय न कर दिया गया हो।

यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होगा। ***[खंड 32]***

धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन विशेष संपरीक्षा का निदेश

धारा 142 की उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करते हैं कि यदि निर्धारण अधिकारी की, अपने समक्ष की कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर, निर्धारिती के लेखाओं की प्रकृति और जटिलता को तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त के अनुमोदन से निर्धारिती को निदेश दे सकेगा कि वह लेखापाल द्वारा अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराए और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

लेखाओं की प्रकृति और जटिलता पद विभिन्न न्यायालयों द्वारा अत्यंत निर्बंधित रीति में निर्वचित किया गया है।

इसलिए, पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि निर्धारण अधिकारी की, अपने समक्ष की कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर लेखाओं की प्रकृति और जटिलता, लेखाओं की मात्रा, लेखाओं की शुद्धता के बारे में शंकाओं, लेखाओं में संव्यवहारों की बहुलता या कारबार क्रियाकलाप की विशिष्ट प्रकृति को तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारिती को निदेश दे सकेगा कि वह लेखापाल द्वारा अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराए और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

यह संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होगा । ***[खंड 33]***

निर्धारणों और पुनः निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय सीमा की अवधि की गणना करने में समय का अपवर्जन

धारा 153 के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, निर्धारण अधिकारी द्वारा आय के निर्धारण और पुनः निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमा का उपबंध करते हैं।

धारा 153 का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियां उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए समय सीमा की अवधि की गणना करते समय अपवर्जित कर दी जाएंगीं।

धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के खंड खंड (iii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन उस तारीख जिसको निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को घारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपनी लेखाओं की संपरीक्षा कराने का निदेश देता है, प्रारंभ होने वाली और उस अंतिम तारीख को, जिसको निर्धारिती से ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि को निर्धारण या पुनः निर्धारण के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा।

तथापि, विद्यमान उपबंध न्यायालय द्वारा अपास्त किए गए निर्धारण अधिकारी के निदेश के मामले में समय के अपवर्जन का उपबंध नहीं करता है।

धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) को संशोधित करने का प्रस्ताव है। जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपने लेखाओं को संपरीक्षा कराने का निदेश देता है, प्रारंभ होने वाली और उस अंतिम तारीख को, जिसको निर्धारिती से ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस उपधारा के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है या उस तारीख को जहां ऐसे निदेश को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, समाप्त होने वाली अवधि को, जिसको ऐसे आदेश को अपास्त किए जाने संबंधी ऐसा निदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, धारा 153 के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा ।

इसी प्रकार, धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 को खंड (viii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के विनिमय के लिए निर्देश किया गया था और उस तारीख जिसके आयुक्त द्वारा अनुरोध की गई सूचना प्राप्त होती है या एक वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, धारा 153 के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने के अपवर्जित की जाएगी।

कई बार एक मामले में सूचना के विनिमय के लिए एक से अधिक बार निर्देश किया जाता है और विदेशी सक्षम प्राधिकारियों से प्रत्युत्तर भी भागों में प्राप्त होता है। ऐसे मामलों में अपवर्जन की अवधि की संगणना करने में हमेशा विवाद उत्पन्न होता है अर्थात् कि क्या उसकी गणना सूचना के विनिमय के लिए किए

गए पहले निर्देश की तारीख से या अन्तिम निर्देश की तारीख से की जाए। इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना की प्राप्ति की तारीख के संदाय में भी ऐसे ही विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

पूर्वोक्त स्थिति के स्पष्ट करने की दृष्टि से पूर्वोक्त खंड (viii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि जिसको धारा 90 या धारा 90घ में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के विनिमय के लिए निर्देश या निर्देशों में पहला निर्देश किया गया था और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जिसको आयुक्त द्वारा अनुरोध की गई सूचना अन्तिम बार प्राप्त की गई है या एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी कम हो को धारा 153 के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

तलाशी निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा से संबंधित अधिनियम की धारा 153ख के स्पष्टीकरण में ऐसे समान सशोधनों का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2013 से प्रभावी होंगे। *[खंड 37 और खंड 38]*

वार्षिक सूचना विवरणी फाइल न करने के लिए धारा 271चक के अधीन शास्ति

धारा 285खक विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा उस धारा की उपधारा(2) के अधीन विहित समय सीमा के भीतर विनिर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करना अज्ञापक बनाती है। धारा की उपधारा (3) निर्धारण अधिकारी को सूचना जारी करने के लिए सशक्त करते हैं यदि नियत तारीख तक वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

अधिनियम की धारा 271चक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध करते हैं कि, यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करना धारा 285खक की उपधारा(1) के अधीन यथा अपेक्षित है, उस उपधारा के अधीन विहित समयसीमा के भीतर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, उक्त उपधारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के माध्यम से प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, 100 रु. की राशि का संदाय करेगा।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 285खक की उपधारा (1)के अधीन कोई वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उसकी उपधारा (2) के अधीन विहित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, 100 रु. की राशि का संदाय करेगा।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां ऐसा व्यक्ति धारा 285खक की उपधारा(5) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होने के पश्चात के दिन से आरंभ होकर प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में पांच सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा। *[खंड 48]*

आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क में अनुमोदन के लिए समय विस्तार

आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क का नियम 4 उन शर्तों के लिए उपबंध करता है जिन्हें आय-कर अधिनियम के अधीन स्वीकृति प्राप्त करने या उसे प्रतिधारित करने के लिए भविष्य निधि द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है। खंड (डक) में यथा अन्तर्विष्ट नियम 4 के अपेक्षाओं में एक अपेक्षा यह है कि स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ और एमपी अधिनियम) की धारा 14 के अधीन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाना है और उक्त अधिनियम के अधीन धारा 17 के अधीन छूट अभिप्राप्त कर ली है।

चौथी अनुसूची के भाग 'क' का नियम 3 यह उपबंध करता है कि मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता प्रदान कर सकेगा जो उसकी राय में उक्त नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को और ऐसी शर्तों, जिन्हें बोर्ड इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें, को पूरा करती है।

नियम 3 का उपनियम(1) का पहला परन्तुक, अन्य बातों के साथ-साथ, यह विनिर्दिष्ट करता है कि उस मामलो में जहां आय कर अधिनियम के अधीन मान्यता 31 मार्च, 2006 को या उससे पहले किसी भविष्य निधि को प्रदान की गई है किन्तु ऐसी भविष्य निधि 31 मार्च, 2013 को या उससे पूर्व नियम 4के खंड(डक) में उपवर्णित शर्तों को पूरा नहीं करती है तो ऐसी निधि की मान्यता वापस ले ली जाएगी।

यह देखा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, की धारा 17 के अधीन छूट प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आवेदनों की संख्या पर अभी कार्यवाही की जानी है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए लंबित आवेदनों पर विनिश्चय करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को और समय प्रदान करने की दृष्टि से पहले परन्तुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे समय सीमा को 31 मार्च, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक बढाया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा। *[खंड 50]*

बैंकों की दशा में डूबंत ऋणों के रूप में कटौती के लिए पात्र होने वाली रकम के संबंध में स्पष्टीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 36(i)(viiक) के विद्यान उपबंधों के अधीन, कतिपय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की कारबार आय की संगणना करने में, उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे अस्तित्वों द्वारा बनाए गए डूबंत तथा शंकास्पद ऋणों के लिए किसी उपबंध की बाबत कटौती अनुज्ञेय है। अधिनियम की धारा 36(1)(viiक)(क) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा कतिपय बैंकों (जो भारत से बाहर निगमित नहीं है) और कतिपय सहकारी बैंकों के संबंध में डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध के लिए कटौती के दावे को ऐसे बैंकों की सकल आय (इस खंड के अधीन कटौती से पूर्व) का 7.5% तक और ऐसे बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए समग्र औसत अग्रिम का 10% तक निर्बंधित करता है। भारत से बाहर निगमित किसी बैंक और कतिपय वित्तीय संस्थाओं के लिए धारा 36(1)(viiक)(ख) तथा 36(i)(viiक)(ग) के अधीन यह सीमा सकल कुल आय (इस खंड के अधीन कटौती से पूर्व) का 5% है।

अधिनियम की धारा 36(1) के खंड (vii) के उपबंध निर्धारिती के खाते में लेखा बहियों में अवसूलनीय ऋण के रूप में वस्तुतः बट्टे खाते डाले गए डूबंत ऋण के लिए कटौती का उपबंध करता है। इस खंड का परन्तुक यह उपबंध करता है कि ऐसे किसी निर्धारिती के लिए जिसको अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) लागू होती है, अत खंड' (vii) के अधीन कटौती उस रकम तक सीमित होगी जिस तक बट्टे खाते डाला गया डूबंत ऋण अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) के अधीन किए गए डूबंत और शंकास्पद खाते के लिए उपबंध में प्रत्यय अतिशेष अधिक है।

अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के उपबंध इस अधिनियम की धारा 36(2) के उपबंधों के अध्यधीन हैं। अधिनियम की धारा 36(2) का खंड (v) यह उपबंध करता है कि ऐसे निर्धारिती को जिसे अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) लागू होती है अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) के अधीन डूबंत और शंकास्पद ऋण खातों के लिए उपबंध के प्रति बट्टे खाते डाले गए डूबंत ऋण की रकम को घटाना चाहिए।

अतः, बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अधीन वास्तविक रूप से बट्टे खाते में डूबंत ऋण के लिए कटौती का दावा करने के उस सीमा तक हकदार होते हैं जहां तक वह अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) के अधीन डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध में प्रत्यय बकाया से अधिक है। तथापि, कतिपय न्यायिक उद्घोषणाओं ने धारा 36(1)(vii) के परंतुक के विस्तार तथा लागू होने के बारे में संदेह का सृजन किया है तथा अभिनिर्धारित किया कि धारा 36(1)(vii) का परंतुक केवल ग्रामीण अग्रिमों से संबंधित डूबंत और संदेहास्पद ऋणों के लिए किए गए उपबंध को लागू होता है।

अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) तीन उपखंड अंतर्विष्ट करती है अर्थात् उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) तथा इनमें से केवल एक उपखंड अर्थात् उपखंड (क) ग्रामीण अग्रिमों को निर्दिष्ट करता है जबकि अन्य उपखंड ग्रामीण अग्रिमों को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। वास्तव में, विदेशी बैंक की साधारणतया ग्रामीण शाखाएं नहीं होती हैं। इसलिए धारा 36(1) के खंड (viiक) के अधीन डूबंत और संदेहास्पद लेखा के लिए तथा धारा 36(1) के खंड (vii) के परंतुक में निर्दिष्ट उपबंध और धारा 36(2)(v) सभी प्रकार के अग्रिमों, चाहे ग्रामीण हों या अन्य अग्रिम, को लागू होते हैं।

यह भी व्याख्या की गई है कि ग्रामीण अग्रिमों और शहरी अग्रिमों के लिए खंड (viiक) के अधीन डूबंत और संदेहास्पद ऋण के लिए उपबंध की बाबत पृथक लेखा हैं और यदि ऋण का वास्तविक बट्टा खाता शहरी अग्रिमों से संबंधित है तो इसे ग्रामीण अग्रिमों के लिए डुबंत और शंकास्पद ऋणों के किए गए उपबंध के अधीन मुजरा नहीं किया जाना चाहिए। धारा 36(1) के खंड (viiक) में ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया है।

उपधारा (1) के खंड (vii), खंड (viiक) तखा उपधारा (2) के उपबंध का विस्तार और लागू होने को स्पष्ट करने के लिए धारा 36(1) के खंड (vii) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 36(1)(vii) के परंतुक तथा धारा 36(2)(v) के प्रयोजनों के लिए उसमें निर्दिष्ट लेखा, खंड (viiक) के अधीन डूबंत और शंकास्पद ऋणों की बाबत केवल एक लेखा होगा और ऐसा लेखा सभी प्रकार के अग्रिमों, जिनके अंतर्गत ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम हैं, से संबंधित होगा। इसलिए ऐसे निर्धारिती के लिए, जिसको धारा 36(1) का खंड (viiक) लागू होता है, धारा 36(1)(vii) के अधीन वास्तविक रूप से बट्टे खाते में डूबंत ऋण की बाबत कटौती की रकम उस रकम तक सीमित होगी जिसके द्वारा ग्रामीण अग्रिमों और अन्य अग्रिमों के बीच अंतर के बिना धारा 36(1)(viiक) के अधीन किए गए डूबंत और संदेहास्पद ऋण लेखों के लिए उपबंध में प्रत्यय बकाया अधिक होता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा। *[खंड 6]*